उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-03/2021/4782/41-2020-82(बजट)/2018

लखनऊ दिनांक 04 जनवरी, 2021

संख्या-290/2020/1566/41-2020-82(बजट)/2018 दिनांक 02 दिसम्बर 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद देवरिया की वि0स0 क्षे0 पत्थरदेवा, ग्राम पकहां मे स्थित चतुर्भुज मंदिर स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-290/2020/1566/41-2020-82 (बजट)/2018 दिनांक 02 दिसम्बर 2020 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-4567/6-1-1/(967)/2018-19 दिनांक 18-12-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृति विषयक शासनादेश के पृष्ठांकन के क्रमांक-04 में त्रुटिवश **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन**, **लखनऊ** एवं पृष्ठांकन के क्रमाक-10 में **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी**, **गोरखपुर** अंकित हो गया है। जबकि पृष्ठांकन के क्रमांक-04 में अंकित **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन**, **लखनऊ** के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी**, **गोरखपुर** एवं पृष्ठांकन के क्रमाक-10 में अंकित **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी**, **गोरखपुर** के स्थान पर **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी**, **गोरखपुर** अंकित होना चाहिए।

2. अत: एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-290/2020/1566/41-2020-82 (बजट)/2018 दिनांक 02 दिसम्बर 2020 के पृष्ठांकन के क्रमांक-04 में अंकित **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन**, **लखनऊ** के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी**, **गोरखपुर** एवं पृष्ठांकन के क्रमाक-10 में अंकित **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी**, **गोरखपुर** के स्थान पर **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी**, **गोरखपुर** अंकित किया जाता है।

3. शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-03/2021/4782(1)/41-2020-82(बजट)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव ,प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता ,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, देवरिया।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in